रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29062021-227983
CG-DL-E-29062021-227983

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 360] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 29, 2021/आषाढ़ 8, 1943
No. 360] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 29, 2021/ASHADHA 8, 1943

Image code

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2021

सा.का.नि. 448 (अ).—केंद्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 176 की उप-धारा (2) के खंड (य) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) संशोधन नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2, उप नियम (1) में:

(क) खण्ड (झ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

'(***झक) "सकल-मीटरिंग"*** *से एक ऐसा तंत्र, जिसके द्वारा प्रोज्यूमर की ग्रिड इंटरेक्टिव रूफ टॉप सोलर फोटोवाल्टिक प्रणाली से उत्पादित कुल सौर ऊर्जा और प्रोज्यूमर द्वारा खपत की गई कुल ऊर्जा की गणना उचित मीटरिंग व्यवस्था के माध्यम से अलग-अलग की जाती है, और बिलिंग के प्रयोजन के लिए, प्रोज्यूमर द्वारा खपत की गई कुल ऊर्जा की गणना लागू खुदरा टैरिफ पर की जाती है और उत्पादित कुल सौर ऊर्जा की गणना आयोग द्वारा निर्धारित फीड-इन टैरिफ पर की जाती है, अभिप्रेत है;';*

(ख) खण्ड (ञ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

'*(अक) **"निवल-बिलिंग अथवा निवल फीड-इन"** सेआपूर्ति स्थल पर निवल-बिलिंग अथवा निवल फीड-इन के लिए प्रयोग किया गया एकल द्विदिशात्मक ऊर्जा मीटर अभिप्रेत है जिसमें ग्रिड से आयातित ऊर्जा और प्रोज्यूमर की ग्रिड इंटरेक्टिव रूफ टॉप सोलर फोटोवाल्टिक प्रणाली से निर्यातित ऊर्जा का मूल्यांकन दो अलग-अलग टैरिफों पर किया जाता है, जहां-*

(i) आयातित ऊर्जा का आर्थिक मूल्य लागू खुदरा टैरिफ पर आधारित होता है;

(ii) निर्यातित सौर ऊर्जा का आर्थिक मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित फीड-इन टैरिफ पर आधारित होता है;

(iii) बिल की जाने वाली निवल धनराशि (अथवा जमा की गई/अग्रेनीत की गई) की गणना के लिए निर्यातित ऊर्जा के आर्थिक मूल्य को आयातित ऊर्जा के आर्थिक मूल्य में से घटा दिया जाता है;

***(अख) "निवल-मीटरिंग"** से एक ऐसा तंत्र, जिसमें आपूर्ति स्थल पर निवल-मीटरिंग के लिए एकल द्विदिशात्मक ऊर्जा मीटर का प्रयोग करके निवल आयातित अथवा निर्यातित ऊर्जा की गणना के लिए प्रोज्यूमर की ग्रिड इंटरेक्टिव रूफटॉप सोलर फोटोवाल्टिक प्रणाली से ग्रिड को निर्यात की गई सौर ऊर्जा को ग्रिड से आयात की गई ऊर्जा में से यूनिटों (केडब्ल्यूएच) में घटा दिया जाता है और निवल ऊर्जा आयात अथवा निर्यात का अनुप्रयोज्य खुदरा टैरिफ के आधार पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बिलकिया जाता है अथवा जमा किया जाता है अथवा अग्रेनीत किया जाता है, अभिप्रेत है;'।*

3. उक्त नियम में, नियम 11 में,-

(क) उप नियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(4) निवल-मीटरिंग, सकल मीटरिंग, निवल-बिलिंग अथवा निवल फीड-इन के लिए व्यवस्थाएं समय-समय पर राज्य आयोग द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार होंगी।

परंतु जहां निवल-मीटरिंग, निवल-बिलिंग अथवा निवल फीड-इन के लिए विनियमों का प्रावधान नहीं है, आयोग पांच सौ किलोवाट भार अथवा स्वीकृत भार तक के लिए, जो भी कम हो, प्रोज्यूमर को निवल-मीटरिंग की और अन्य भारों के लिए निवल-बिलिंग अथवा निवल फीड-इन की अनुमति देगा:

परंतु यह और भी कि प्रोज्यूमरों द्वारा निवल-बिलिंग अथवा निवल फीड-इन का लाभ उठाने के मामले में, आयोग टाइम-ऑफ-द-डे प्रवर्तित करेंगे जिसके द्वारा प्रोज्यूमर भंडारित सौर ऊर्जा का उनके द्वारा उपयोग करने के लिए ऊर्जा भंडार स्थापित करने अथवा व्यस्ततम मांग के घंटों के दौरान ग्रिड में फीड करने के लिए प्रोत्साहित होंगे, इस प्रकार डिस्कॉमों के मांग के प्रत्युत्तर में सह-भागीदारी करते हुए ग्रिड की सहायता की जा सकेगी।

परंतु यह भी कि निवल-मीटरिंग अथवा निवल-बिलिंग अथवा निवल फीड-इन के मामले में, वितरण अनुज्ञप्तिधारी नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व साख, यदि कोई हो, के प्रयोजनार्थ ग्रिड इंटरेक्टिव रूफ टॉप सोलर फोटोवाल्टिक प्रणाली से उत्पादित सकल सौर ऊर्जा को मापने के लिए सौर ऊर्जा मीटर स्थापित करेगा।

परंतु यह भी कि आयोग ऐसे प्रोज्यूमरों, जो निवल-मीटरिंग, निवल-बिलिंग अथवा निवल फीड-इन का लाभ उठाने के बजाए पूर्ण उत्पादित सौर ऊर्जा को वितरण अनुज्ञप्तिधारी को बेचना चाहते हैं, निवल-मीटरिंग की अनुमति देंगे और आयोग इस प्रयोजन के लिए टैरिफ विनियमों के अनुसार सकल-मीटरिंग के लिए सामान्य टैरिफ निर्धारित करेगा।"

(ख) उप-नियम (13)के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा अर्थात्:

"(13) प्रोज्यूमर द्वारा उत्पादित सौर ऊर्जा को ग्रिड इंटरेक्टिव रूफ टॉप सोलर फोटोवाल्टिक प्रणाली के लिए आयोग द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार खपत की गई ऊर्जा और बिल राशि के सापेक्ष समायोजित किया जाएगा।"

[फा. सं. 23/05/2020-आरएंडआर]

घनश्याम प्रसाद, संयुक्त सचिव

टिप्पणः मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 818(अ) द्वारा तारीख 31 दिसम्बर, 2020 में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2021

G.S.R. 448 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (z) of sub-section (2) of section 176 of the Electricity Act, 2003 (Act 36 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules, to amend the Electricity (Rights of Consumers) Rules, 2020, namely:-

1. (1) These rules may be called the Electricity (Rights of Consumers) Amendment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Electricity (Rights of Consumers) Rules, 2020 (hereinafter referred to as the said rule), in rule 2, in sub-rule (1),-

(a) after clause (i), the following clause shall be inserted, namely:-

*'(ia) **"gross-metering"** means a mechanism whereby the total solar energy generated from Grid Interactive rooftop Solar Photovoltaic system of a Prosumer and the total energy consumed by the Prosumer are accounted separately through appropriate metering arrangements and for the billing purpose, the total energy consumed by the Prosumer is accounted at the applicable retail tariff and total solar power generated is accounted for at feed-in tariff determined by the Commission;';*

(b) after clause (j), the following clauses shall be inserted, namely:-

*'(ja) **"net-billing or net feed-in"** means a single bidirectional energy meter used for net-billing or net feed-in at the point of supply wherein the energy imported from the Grid and energy exported from Grid Interactive rooftop Solar photovoltaic system of a Prosumer are valued at two different tariffs, where-*

(i) the monetary value of the imported energy is based on the applicable retail tariff;

(ii) the monetary value of the exported solar energy is based on feed-in tariff determined by the Commission;

(iii) the monetary value of the exported energy is deducted from the monetary value of the imported energy to arrive at the net amount to be billed (or credited / carried-over);

***(jb) "net-metering"** means a mechanism whereby solar energy exported to the Grid from Grid Interactive rooftop Solar Photovoltaic system of a Prosumer is deducted from energy imported from the Grid in units (kWh) to arrive at the net imported or exported energy and the net energy import or export is billed or credited or carried-over by the distribution licensee on the basis of the applicable retail tariff by using a single bidirectional energy meter for net-metering at the point of supply;'.*

3. In the said rules, in rule 11, -

(a) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(4) The arrangements for net-metering, gross-metering, net-billing or net feed-in shall be in accordance with the regulations made by the State Commission, from time to time:

Provided that where the regulations does not provide for net-metering, net-billing or net feed-in, the Commission may allow net metering to the Prosumer for loads up to five hundred Kilowatt or upto the sanctioned load, whichever is lower and net-billing or net feed-in for other loads:

Provided further that in the case of Prosumers availing net-billing or net feed-in, the Commissions may introduce time-of-the-day tariffs whereby Prosumers are incentivised to install energy storage for utilization of stored solar energy by them or feeding into the grid during peak hours thus helping the grid by participating in demand response of the Discoms:

Provided also that in case of net-metering or net-billing or net feed-in, the distribution licensee may install a solar energy meter to measure the gross solar energy generated from the Grid Interactive rooftop Solar Photovoltaic system for the purpose of renewable energy purchase obligation credit, if any:

Provided also that the Commission may permit gross-metering for Prosumers who would like to sell all the generated solar energy to the distribution licensee instead of availing the net-metering, net-billing or net feed-in

facility and the Commission shall decided for this purpose the generic tariff for gross-metering as per tariff regulations:'

(b) for sub-rule (13), the following sub-rule shall be substituted namely:-

"(13) The solar energy generated by prosumer shall be adjusted against energy consumed and bill amount as per regulations made by the Commission for Grid Interactive rooftop Solar Photovoltaic system."

[F. No. 23/05/2020-R&R]

GHANSHYAM PRASAD, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* notification number G.S.R. 818(E), dated the 31st December, 2020.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.06.29 22:29:14 +05'30'